96

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10 (×3)

निगरानी 2425-I-15

समक्ष न्यायालय श्रीमान [illegible] म.प्र.

पुनरीक्षण) रा.निर्देश प्रकरण क. / 2015

(807)

श्री सतोष अग्रवाल
अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार श्री
2 8 JUL 2015
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

श्री रवि बाघवानी पिता श्री बलराम बाघवानी
उम्र 41 वर्ष, निवासी– 1191 रामपुर, चौक
जबलपुर म.प्र

निर्देशकर्ता / आवेदक

विरूद्ध

डॉ. घनश्याम असरानी
पिता स्व. श्री परसराम असरानी
उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी– नर्मदा रोड,
आदर्श नगर , ग्वारीघाट जबलपुर म.प्र.
के. एल विश्वकर्मा हल्का पटवारी ग्वारीघाट
द्वारा ग्वारीघाट गोरखपुर जबलपुर
3. नारायण गौड़ वल्द स्व० हेतीलाल
4. भगवानदास वल्द स्व० हेतीलाल
दोनों निवासी– 340 ग्वारीघाट रेलवे क्रासिंग के पास जबलपुर

अनावेदकगण / प्रत्यर्थीगण

29.7.15
2
3.
4.
29.7.15
23/10/15

याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता बाबत पुनरीक्षण

यह कि निर्देश याचिका विचारण न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय गोरखपुर जबलपुर में चल रहे रा.प्र.क. 167/ए/121–2008–2009 जिसमें पक्षकार नारायण गौड़ विरूद्ध डॉ. घनश्याम असरानी वगैरह के समक्ष प्रस्तुत पटवारी प्रतिवेदन दिनॉक 26/06/2015 एवं आदेश पत्रिका दिनॉक 08/07/2015 से क्षुब्द एवं परिवेदित होकर निम्नलिखित प्रकरण पेश किया जा रहा है।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 2425–एक/15 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18.1.16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, गोरखपुर जबलपुर के प्रकरण कमांक 167/ए/121/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 8–7–15 के विरूद्ध पेश की गई है । 2/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने गये दोनों पक्षों द्वारा लिखित बहस पेश की गई है । 3/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्को के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण के अवलोकन से यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में एक मात्र विचारणीय बिंदु यह है कि क्या आवेदक हितबद्ध पक्षकार है या नहीं और उसे सुना जाना आवश्यक है या नहीं । अभिलेख में जो दस्तावेज संलग्न हैं उनसे स्पष्ट है कि आवेदक की पूर्वाधिकारी स्व. श्रीमती विद्यादेवी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि खसरा नंबर 85/1 रकबा 0.506 के आधे भाग को पंजीकृत विक्रयपत्र द्वारा डोलामल के वारिसानों से कय किया गया है । डोलामल द्वारा उक्त भूमि मोहित नायक	

R.2425-8/15

रवि बाघवानी विरूद्ध डॉ0 धनश्याम असरानी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	से क्रय की गई है जो कि माननीय उच्च न्यायालय तक पक्षकार रहा है । चूंकि विद्यादेवी द्वारा आवेदक के पक्ष में वसीयत की गई है ऐसी स्थिति में आवेदक प्रकरण में हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार प्रतीत होता है और उसे अपना पक्ष रखे जाने का अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । अतः अनुविभागीय अधिकारी को निर्देश दिए जाते हैं कि वे उनके समक्ष लंबित प्रकरण में आवेदक को प्रकरण में पक्षकार बनाते हुए अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर देते हुए सभी संबंधितों को सुनकर प्रकरण का निराकरण माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में विधिवत करें । उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है । सदस्य	